समता और स्वाभिमान के लिए

- जुल्म ज्यादती से छुटकारा पाने के लिए
- उत्तम क्वालिटी की शिक्षा के लिए
- आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए
- महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए
- पर्याप्त स्वाद, बीज और बिजली के लिए
- हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए
- फ्री इलाज और दवा के लिए
- रु 40,000 वार्षिक महिला अनुदान के लिए

समाजवादी पार्टी

समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट करें!

दद्दू प्रसाद

पूर्व कैबिनेट मंत्री उ.प्र. शासन

9415902994

8795132881

230 विधान सभा महोबा

आवास- महिन्द्रा ट्रेक्टर एजेन्सी के सामने, सुभाष नगर, कबरई रोड, महोबा (उ.प्र.)

RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2025-27

प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

द्रविड़ भारत

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्रिका

सितम्बर-2026 | वर्ष - 18 | अंक : 08 | मूल्य : 5/-

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

गणतंत्र आर्मी

(गणतंत्र आर्मी का संगठन द्रविड़ भारत समाचार पत्रिका द्वारा संचालित किया जा रहा है।)

उद्देश्य – सामाजिक गणतंत्र स्थापित करना है।

संस्थापक सदस्य

इंजी. के. के. लाल (9336765798), लखनऊ
उमेश्वरी देवी (एडवोकेट) (9005204074)
के. के. श्रीवास्तव (9839263541), कानपुर
महेन्द्रनाथ (7007015518), मऊ
कमलेश कुमार प्रजापति (9452464646), बाँदा
संतोष लोधी (8808615697), कानपुर
सियाराम (9794352284), महोबा
बसन्तलाल अम्बेडकर (8351991276), उन्नाव

गणतंत्र आर्मी

समता और स्वाभिमान के लिए

जुल्म ज्यादती से छुटकारा पाने के लिए
उत्तम क्वालिटी की शिक्षा के लिए
आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए
महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए
पर्याप्त स्वाद, बीज और बिजली के लिए
हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए
फ्री इलाज और दवा के लिए
रु 40,000 वार्षिक महिला अनुदान के लिए

समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट करें!

डॉ0 सनत राजपूत

मो.: 9616650782
231 चरखारी विधान सभा

समाजवादी पार्टी

आवास : 107, गोविन्द नगर कुलपहाड़, जिला महोबा (उ.प्र.)

महेन्द्र कुमार बौद्ध
एडवोकेट (चुरबरा वाले)
मो.: 8115766082
दस्तावेज लेखक एवं कानूनी सलाहकार
बैनामा, वसीयतनामा, इकरारनामा, किरायानामा
तहसील सदर महोबा
निवास/कार्यालय : मुहाल भटीपुरा, नई बस्ती महोबा

दीपदानोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

हरी किशन
(राजू)
ग्राम प्रधान सिरसी कलाँ
मो.: 9696205260

कामता प्रसाद विश्वकर्मा
सिरसी कलाँ
मो.: 8299208279, 9450269688
राज्यस्व विभाग के कार्य किये जाते हैं।

आशीष विश्वकर्मा
मो.: 6387506656
निवास/कार्यालय : न्यू मॉडर्न सिटी बजरंग नगर, महोबा

दीपदानोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

राजेन्द्र कुमार सोनी
स्टाम्प विक्रेता
मो.: 7398470018
पूर्व जिलाध्यक्ष
आल यू.पी. स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन, जिला महोबा

दीपदानोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

संतोष कुमार
कनिष्ठ सहायक
मो.: 9795697802
कार्यालय
जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा

दीपदानोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

जय प्रकाश अनुरागी
प्रशासक
जिला पंचायत महोबा
मो.: 8858430711

दीपदानोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

गोरेलाल
लेखाकार
विकास खण्ड कबरई महोबा
मो.: 8858953847

दीपदानोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

कुलदीप कुमार
कम्प्यूटर ऑपरेटर
मो.: 9454858805
कार्यालय
जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.),
मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख –
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी–5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम–सराय, औरंगाबाद, पो.–बहादुरगढ़,जिला–झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.–रामटौरिया, जिला–छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट–III, बदरपुर, नई दिल्ली–44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.–1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला–अलवर–301001,
मो. : 09887512360, 0144–3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.–08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला–महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें –
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.–33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

द्रविड़ भारत

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्रिका

वर्ष – 18 | अंक : 08 | सितम्बर–2026 | मूल्य : 5/–

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	सम्पादकीय	2
2.	गणतंत्र आर्मी का विधान व नियम	3
3.	भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है न कि लोकतंत्र	8
4.	पिछड़ा वर्ग संघर्ष के लिए तैयार रहे – कांशीराम	12
5.	अशोक विजयदशमी	13
6.	विचित्र वैराग्य	15
7.	गणतंत्र आर्मी का सदस्यता आवेदन फार्म	16

विज्ञापन हेतु
CBC NEWS PAPER CODE : 134545

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और दबायें।

दलित–शोषित समाज को सम्मान का जीवन देने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है–कांशीराम

(लखनऊ)

''दलित–शोषित समाज जो कि चारों ओर से समस्याओं के घिरा है, उनको हल करने और समाज को सम्मान का जीवन देने के लिए एक या दो तौर से नहीं बल्कि संगठन की बहुत जरूरत है। उसके लिए निश्चित विचारधारा और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 6 दिसम्बर, 1981 को डी–एस 4 (दलित–शोषित समाज संघर्ष समिति) की स्थापना की गई, जिसने उसी दिन से अपना कार्य आरम्भ कर दिया है तथा पूरे भारत में उसका 365 दिनों का कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है।'' उक्त विचार मा. कांशीराम जी ने व्यक्त किये। वे लखनऊ में डी–एस4 के सम्मेलन में बोल रहे थे।

उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र का सम्मेलन स्थानीय झण्डेवाला पार्क अमीनाबाद में 7 फरवरी को सम्पन्न हुआ जिसमें 26 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ लखनऊ नगर तथा आसपास के देहातों से जनता ने भारी संख्या में भाग लिया। पार्क पूरा भरा था लगभग 5 हजार लोगों ने इस अवसर पर भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता डी–एस4 के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी ने की तथा कार्यक्रम का संचालन बामसेफ लखनऊ जिला यूनिट के संयोजक मा. राजबहादुर ने किया।

खुले अधिवेशन में बोलते हुए डी–एस 4 के संस्थापक मा. कांशीराम जी ने कहा कि यह मंच दलित–शोषित समाज संघर्ष समिति (डी–एस4) का है जिसे संघर्ष करने के लिए बनाया गया है। आपने कहा कि मैंने प्रतिनिधि सत्र में बुद्धजीवी वर्ग की छुपी हुई ताकत की ओर ध्यान दिलाया। यह ताकत दलित–शोषित समाज के केवल 1.5% पढ़े–लिखे लोगों में ही नहीं अन्य लोगों में भी है। अब मैं अपने पिछड़े वर्ग जो कि देश की जनसंख्या की 85% की ताकत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देश में हम 85 प्रतिशत हैं हमारे ऊपर 15 प्रतिशत लोग न केवल अन्याय व अत्याचार करते हैं अपितु बहुत लम्बे अरसे से शासन करते आ रहे हैं।

आपने कहा कि हमें यह देखना है कि हम 85 प्रतिशत में क्या कमी है और उन 15 प्रतिशत में क्या खासियत है जिससे कि वे हमारे ऊपर शासन ही नहीं कर रहे बल्कि अन्याय अत्याचार भी कर रहे हैं। अपने को समझने के बाद, इतना संगठित करें कि हमें दुश्मन को गाली देने का मौका ही न मिले। हमें अपने आप को इतना संगठित करना है, इतनी तैयारी करती है कि दुश्मन जान लेगा कि हरकत की तो उसे अपनी चटनी बनने का डर है। यदि दुश्मन न समझा तो हमें उसकी चटनी बनानी पड़ेगी।

मा. कांशीराम जी ने बताया कि हमने समाज की गैर–राजनीतिक जड़ें मजबूत बनाने के लिए बामसेफ को बनाया है जिसमें पढ़े लिखे कर्मचारी हैं। जब बामसेफ ने कार्य शुरु किया तो लोगों ने सोचना शुरु कर दिया कि इनके पीछे कौन–सी ताकत है। इनके 200 आफिस चल रहें। 15 प्रकाशन 6 भाषाओं में निकल रहे हैं, पैसा कहाँ से लगता है। इतने सारे समारोह होते हैं जिन पर इतना पैसा खर्च होता है। सब कहाँ से आता है।

मा. कांशीराम जी ने बताया कि तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर मेरे पास गुप्तचर विभाग के लोग आये, उन्होंने पूछा कि अम्बेडकर को मानने वाले कुछ लोग बोलते हैं यह इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आया है? मैंने उनसे कहा कि वो क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता परन्तु मैं आपको बताता हूँ कि 1991 तक हमारे 55 दैनिक पत्र 100 पत्रिकाएं होगी, यू. एन.आई. और पी.टी. आई. से बढ़ी हमारी समाचार एजेन्सी होगी। इसका 100 करोड़ का बजट है। जिसका दूसरा चरण 1987 तक पूरा हो जायेगा, तब तक 18 दैनिक पत्र तथा 50 पत्रिकाएं होंगी। आपने बताया कि हमने अपनी ताकत को पहचानना सीख लिया है, इसलिए इसमें हमें ज्यादा कठिनाई नहीं आयेगी। आपने कहा कि हमें यह ताकत बनानी है जो अत्याचारी, शोषक को यह बता दे कि वह चटनी बना देती है। हमने 6 दिसम्बर, 1981 को डी–एस4 की शुरूआत की है जो 6 दिसम्बर 1982 तक भारत की सबसे बड़ी संघर्ष की ताकत होगी, जिसे मैं न कहूँ, आप न कहें बल्कि हमारा दुश्मन महसूस करे। यही नहीं अर्न्तराष्ट्रीय शक्तियाँ भी इसे कहेंगी।

डी.एस4, 98.5 प्रतिशत दलित–शोषित समाज को संगठित करके भारत की सबसे बड़ी संघर्ष शक्ति होगी। कांशीराम जी ने बताया कि हमारा संघर्ष कानून और व्यवस्था के खिलाफ नहीं होगा। यह संघर्ष इस असमानता की धरती पर सम्मान और समानता के लिए होगा। मा. कांशीराम जी ने खासतौर से दलित समाज के पुरुषों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी महिलाओं से कहते हैं कि ''क्या तुम्हें इंदिरा गांधी बनना है?'' मैं कहता हूँ ''क्यों नही बनना?''

अंत में दलित–शोषित समाज संघर्ष समिति के संस्थापक मा. कांशीराम जी ने समारोह का समापन करते हुए सभी उपस्थित अतिथियों, कार्यकर्ताओं एवं जनसाधारण के प्रति आभार व्यक्त किया।

सम्मेलन को राजकुमारी, विद्यावती गौतम, कु. मायावती, डा. मुहम्मद कुरैशी, प्रो. सियाराम यादव, चौ. महाराज सिंह भारती (पू. सांसद), राजनाथ सोनकर शास्त्री (सांसद), रामलाल कुरील (पू. सांसद) ने भी सम्बोधित किया।

(बहुजन संगठक, वर्ष 3, अंक 3, 26 अप्रैल, 1982)

साभार :
बहुजन संगठक में प्रकाशित मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण पेज संख्या 27 से 29 तक
ए. आर. अकेला

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और दबायें।

गणतंत्र आर्मी का विधान एवं नियम

अनुच्छेद–1

गणतंत्र आर्मी – शब्द की व्याख्या

गण – जनता या समूह (भिक्षुक)

तंत्र – ज्ञान का विस्तार करने वाला

''तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तन्त्रम्''

वह विद्या जो ज्ञान का विस्तार करे और विधि द्वारा रक्षा करने वाला शास्त्र है।

आर्मी – ARMY

A - Alert (चेतावनी)

R - Regular (नियमित)

M - Mobility (गतिशीलता)

Y - Youngster (नौजवान)

इसका मतलब होता है कि गणों एवं युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जा सकता है। यह आर्मी मुश्किल समय में देशवासियों को सुरक्षित रखने का काम करेगी।

गणतंत्र आर्मी के मूल्य

आर्मी के प्रत्येक सदस्य को निम्न 7 मूल्यो (Value) का पालन करना है।

1. वफादारी – वचन बद्धता
2. कर्तव्य – नैतिक कार्य
3. सम्मान – आज्ञा का पालन
4. निःस्वार्थ सेवा – प्रेम, दान और करूणा
5. गौरव – प्रतिष्ठा
6. सत्यनिष्ठा – और
7. व्यक्तिगत साहस

1. वफादारी

यह शब्द किसी के प्रति ईमानदारी प्रतिबद्धता और भरोसे को दर्शाते और वचन बद्धता महत्वपूर्ण है।

2. कर्तव्य

कर्तव्य का अर्थ ''करने योग्य कार्य या धर्म है'', ये शब्द व्यक्ति के नैतिक या कानूनी दायित्व को दर्शाता है।

3. सम्मान – आज्ञापालन

सम्मान का अर्थ संगठन के लिए आज्ञा पालन है।

किसी दूसरे प्राणियों के लिए दिखाया जाने वाला आदर है जो किसी के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए उपयोग किया जाना है।

जैसे – विद्वानों या ज्ञानी प्राणियों का सम्मान करना।

4. निःस्वार्थ सेवा

बिना किसी अपेक्षा के देना। यह शुद्धतम प्रेम दान और करूणा है। जिसमें कोई प्रतिफल नहीं होता।

5. गौरव – प्रतिष्ठा

यह शब्द किसी के द्वारा समाज या राष्ट्र के लिए की गई अच्छी उपलब्धियों के कारण उत्पन्न सम्मान की भावना को दर्शाता है।

उदाहरण – यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम आपकी सेवा कर रहें हैं।

(यह सेवा से प्राप्त प्रतिफल है)

6. सत्यनिष्ठा (Integrity)

सत्यनिष्ठा का अर्थ है नैतिक सिद्धान्तो ईमानदारी और सच्चाई के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।

यह कथनी और करनी (बोलने और करने) में समानता, चरित्र की सुदृढ़ता, निष्पक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवहार को दर्शाता है।

सरल शब्दों में

''यह दबाव में भी सही काम करने की क्षमता है।''

7. व्यक्तिगत साहस

व्यक्तिगत साहस का अर्थ है कि विपरीत, डरावनी या जोखिम भरी नैतिक मूल्यों और सच का साथ देते हुए सही निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता।

यह निडरता के साथ–साथ अपने मन की बात सुनने, दृढ़ रहने और असफलता के डर के बावजूद आगे बढ़ने का गुण है, जो मानसिक शक्ति को दर्शाता है।

उदाहरण –

क) सत्य की राह पर चलना –
दूसरों के विरोध के बावजूद सच बोलना

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

ख) मुश्किलों में टिके रहना–
गंभीर बीमारी या व्यक्गित संकट में भी हौसला न खोना

ग) गलत का विरोध –
किसी के साथ अन्याय होते देख, बिना डर के उसका विरोध करना।

घ) जिम्मेदारी लेना –
अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हे सुधारने का प्रयास करना।

ङ) डर के बावजूद शुरूआत –
अनिश्चित्ता या असफलता के डर के बावजूद किसी काम की शुरूआत करना।

अनुच्छेद – 1 (क)

गणतंत्र आर्मी का झण्डा

1. नीला (Blue)
   दयालुता, शांति और सार्वभौमिक करूणा
2. पीला (Yellow)
   मध्यमार्ग, त्याग और समृद्धि
3. लाल (Red)
   ज्ञान, सदाचार और पवित्रता
4. सफेद (White)
   पवित्रता और धर्म की शुद्धता
5. नारंगी/कषाय/केसरी (Orange/Saffron)
   त्याग, वैराग्य और सेवा (भिक्षुओं का रंग)
6. हरा (Green)
   हरा रंग जीवन का प्रतीक है जो प्रकृति के नवजीवन के संकेत के रूप में परिलक्षित होता है।

यह जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और संतुलन को दर्शाता है।

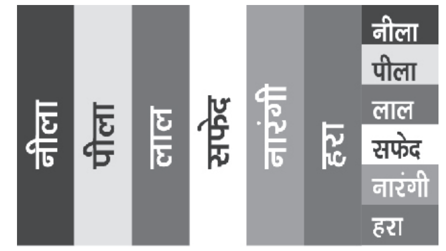

ध्वज के छह ऊर्ध्वाधर बैण्ड आभा के छह रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

छः अन्य रंग के आयताकार बैण्ड के एक समायोजन से बना है और आभा के स्पेक्ट्रम में अन्य छः रंगों में से एक यौगिक का प्रतिनिधित्व करता है।

इस यौगिक रंग (प्रकाश का स्तर) प्रभासार के रूप में जाना जाता है।

(प्रकाश स्पेट्रम का प्रतीक है)

ध्वज के बीच में गणतंत्र आर्मी लिखा होगा।

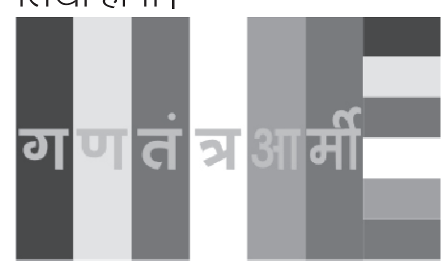

अभिवादन प्रतीक वाक्य

जय गणतंत्र, जय संविधान, जय प्रकृति

अनुच्छेद – 2

–: उद्देश्य :–

1. सामाजिक गणतंत्र स्थापित करना है। यह केवल सरकार के चुनाव तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन स्तर को उठाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना है।

2. हम भारत के लोग भारत को एक (सम्पूर्ण प्रभुत्व – संपन्न, समाजवादी, पंक्ष निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को –

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी गणतंत्र आर्मी सभा में आज एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत (स्वीकार) अधिनियमित (विधि सम्मत बनाना) और आत्मर्पित (स्वंय को समर्पित करना) करते हैं। गणतंत्र आर्मी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखती है।

3. भारत के नागरिक को हर सम्भव प्रत्येक क्षेत्र में सहायता करना।

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

4. भारत के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार प्रदान करने में सहायता करना।

5. भारत के नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराने में सहायता करना।

6. भारत के नागरिकों को प्राकृतिक साधनों/संसाधनों का उपयोग और उनका संर्वधन और संरक्षण करने की शपथ दिलाना व नागरिकों के बीच प्रचार–प्रसार करना।

7. भारत के नागरिकों के बीच प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से होने वाले स्वास्थ्य लाभ का प्रचार प्रसार करना।

8. उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धरना प्रदर्शन, रैली, और सभाओं का आयोजन/ज्ञापन देना आदि।

9. प्रकृति का संरक्षण संवर्धन और उपयोग के माध्यम से प्राणियों के दुखों का निवारण करना है।

अनुच्छेद – 3 सदस्यता

1. कोई भी भारत का गण/नागरिक जिसकी आयु 18वर्ष हो चुकी हो जो गणतंत्र आर्मी के संविधान और विचारधारा में विश्वास रखता है वह गणतंत्र आर्मी का सदस्य बन सकता है।

2. सदस्यता शुल्क समय–समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाएगी।

3. सदस्यता का वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा और 31 दिसम्बर को समाप्त होने पर उक्त सदस्यता बिना किसी सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी।

सदस्यता शुल्क/कार्यकाल

प्रतिवर्ष प्रत्येक सदस्य व पदाधिकारी को कार्यालय में जमा करनी होगी।

पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आवश्यकता पड़ने पर समय से पूर्व भी संगठनात्मक तंत्र /इकाइयों को भंग कर कार्य संचालन तंत्र व प्रतिनिधि तंत्र की घोषणा की जा सकती है।

अनुच्छेद – 4

गणतंत्र आर्मी के निम्नलिखित तंत्र होंगे

1. राष्ट्रीय स्थायी तंत्र
   - क) राष्ट्रीय प्रतिनिधि तंत्र
   - ख) राष्ट्रीय संचालन तंत्र
2. राज्य स्तरीय तंत्र
   - क) राज्य प्रतिनिधि तंत्र
   - ख) राज्य संचालन तंत्र
3. मण्डल स्तरीय तंत्र
   - क) मण्डल प्रतिनिधि तंत्र
   - ख) मण्डल संचालन तंत्र
4. जिला स्तरीय तंत्र
   - क) जिला प्रतिनिधि तंत्र
   - ख) जिला संचालन तंत्र
5. ब्लाक स्तरीय
   - क) ब्लाक प्रतिनिधि तंत्र
   - ख) ब्लाक संचालन तंत्र
6. ग्राम पंचायत स्तरीय तंत्र
   - क) ग्राम प्रतिनिधि तंत्र
   - ख) ग्राम संचालन तंत्र

प्रतिनिधि तंत्र – प्रतिनिधि तंत्र में मनोनीत, निर्वाचित और विशेष विद्वानों का प्रतिनिधित्व आपसी सहमति के आधार पर होगा, जिसमें (महिला और विकलांग) भी होगे।

संचालन तंत्र – प्रतिनिधितंत्र के निर्देशों, आदेशों का पालन करते हुए निम्न कार्य करेगा।

Operation, Management, Control

संचालन, प्रबंधन, अनुशासन

मंच संचालन, मंच व्यवस्था

संचालन तंत्र का मनोनयन प्रतिनिधि तंत्र द्वारा राष्ट्रीय स्थाई तंत्र की स्वीकृत प्राप्त कर मनोनीत किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्थाई तंत्र का कार्य संचालन

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना है। गणतंत्र आर्मी के निर्माणकर्ताओं के नाम राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होंगे राष्ट्रीय प्रतिनिधि तंत्र एवं राष्ट्रीय संचालन तंत्र सहित सभी स्तरीय तंत्र राष्ट्रीय स्थाई तंत्र के मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे सभी स्तर के तंत्र में किसी सदस्य को मनोनीत करने, निष्कासित करने से पूर्व राष्ट्रीय स्थाई तंत्र की स्वीकृत प्राप्त करनी होगी। राष्ट्रीय स्थायी

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔दबायें।

तंत्र के चुनाव में स्थायी तंत्र के सदस्यों के अलावा किसी भी सदस्य/ पदाधिकारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। स्थायी तंत्र में एक ट्रस्टी और अन्य सदस्य होगे। उनके द्वारा एक राष्ट्रीय स्थायी तंत्र का निर्माण किया जायेगा और पदाधिकारियों का मनोनयन किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्थायी तंत्र के पदाधिकारियो का विवरण

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष – 1
2. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष – 1
3. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – 6
4. राष्ट्रीय महासचिव – 16
5. राष्ट्रीय सचिव – 16
6. राष्ट्रीय संगठन सचिव – 16
7. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष – 1
8. राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष – 1
9. कार्यालय मंत्री – 1
10. **राष्ट्रीय प्रवक्ता**
    1. हिन्दी
    2. अंग्रेजी
    3. उर्दू
    4. पंजाबी
    5. गुजराती
    6. तमिल
    7. तेलगु
    8. मराठी
    9. कन्नड आदि भारत में बोली, लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषाओं का कम से कम 01 और अधिकतम 02 प्रवक्ता मनोनीत किये जायेगे।

आवश्यकता होने पर पदाधिकारियों की संख्या घटायी व बढ़ाई जा सकती है।

राष्ट्रीय कार्यालय/केन्द्रीय कार्यालय

गणतंत्र आर्मी का एक राष्ट्रीय मुख्यालय होगा जिसे सभी की सहमति से भारत के अन्दर कहीं भी बनाया/अधि सूचित किया जा सकेगा।

प्रदेश स्तरीय कार्यालय संगठन का प्रत्येक प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय मुख्यालय बनाया जाएगा जो कि उस प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत कहीं बनाया जा सकेगा।

जिला स्तरीय कार्यलय जिला सीमा ब्लाक स्तरीय कार्यालय ब्लाक सीमा ग्राम पंचाचत स्तरीय कार्यालय

ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत बनाए जायेगे।

अनुच्छेद – 5

पदाधिकारियों की शक्तियाँ और कार्य

राष्ट्रीय स्थाई तंत्र को मार्गदर्शन में उद्देश्यों की पूर्ति के कार्य करना

अध्यक्ष – बैठकों/कार्यक्रमों की अध्यक्षता करना।

महासचिव – कार्यक्रमों/बैठको का संचालन करना।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की सहायता करना और अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके कार्यों का सम्पादन करना।

संगठन सचिव – संगठन का कार्य करना।

कोषाध्यक्ष – गणतंत्र आर्मी के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।

सहकोषाध्यक्ष – कोषाध्यक्ष की सहायता करना।

कार्यालय मंत्री – कार्यालय का संचालन देखरेख–आने जाने वालों की सहायता, मार्गदर्शन और सभी फाइलों का रख रखाव करना आदि।

अन्य पदाधिकारी गण उपरोक्त पदाधिकारियों की कार्य में सहायता करना। वितरित किये कार्यों का समय पर निष्पादन करना।

कार्यालय संचालन के लिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है उनका मानदेय अपने स्तर पर प्रत्येक स्तर के कार्यालय को स्वयं निर्धारित करने का अधिकार होगा उसकी स्वीकृत राष्ट्रीय स्थाई तंत्र से लेना अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद – 6

प्रदेश स्तरीय तंत्र का निर्माण

सदस्यों के निर्वाचन/मनोनयन 500 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जाएंगे।

मण्डल स्तरीय तंत्र का निर्माण

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔दबायें।

सदस्यों के निर्वाचन/मनोनयन 200 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जाएंगे।

जिला स्तरीय तंत्र का निर्माण

50 सदस्यों पर एक जिला प्रतिनिधि का मनोनयन होगा।

ब्लाक स्तरीय तंत्र का निर्माण

ब्लाक स्तरीय तंत्र का मनोनयन जिला प्रतिनिधि तंत्र द्वारा किया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तरीय तंत्र का निर्माण

ग्राम पंचायत स्तरीय तंत्र का मनोनयन ब्लाक स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र द्वारा किया जाएगा।

अनुशासन समिति

किसी भी पदाधिकारी व सदस्य के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूर्व भली–भांति जाँच–पड़ताल कर साक्ष्यों के साथ जिला स्तरीय प्रधिनिति तंत्र के माध्यम से प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र को भेजना होगा तदोपरान्त प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र राष्ट्रीय स्थाई तंत्र से स्वीकृत प्राप्त कर हटाने व उनके स्थान पर दूसरे में मनोनयन करने की कार्यवाही सम्पन्न करेगी। किसी भी शिकायत का निस्तारण 30 दिनों के भीतर करना होगा।

अनुशासन समिति का निर्माण

प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र द्वारा राष्ट्रीय स्थायी तंत्र की स्वीकृत प्राप्त कर अनुशासन समिति का निर्माण मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद – 7

कोष एवं लेखे

उद्दश्यों की प्राप्ति के लिए कोष का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षण कराया जाएगा।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय कार्यालय/प्रदेश कार्यालय में समुचित नगद राशि रखी जाएगी। आवश्यकता होने पर बैंक में जमा करा दी जाएगी। जिसकी सूचना राष्ट्रीय स्थाई तंत्र एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधि तंत्र को जमा रसीद सहित दे दी जाएगी।

अनुच्छेद – 8

बैठकों का कोरम

कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का कोरम होगा किंतु को रम पूरा न होने के अभाव में दुबारा बैठक बुलाई जाएगी यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो कार्यवाही लिखकर उसी तिथि में चार घंटे बाद पुनः बैठक सम्पन्न की जाएगी जिसमें कोरम पूरा होने की बाध्यता नहीं होगी।

संविधान संशोधन

गणतंत्र आर्मी के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कुल राष्ट्रीय स्थायी तंत्र के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जाएगा।

विलयन, विभाजन और विघटन

गणतंत्र आर्मी के राष्ट्रीय स्थाई तंत्र के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

स्थायी तंत्र के पदाधिकारी गण

1. उमेश्वरी देवी – 9005204074 संस्थापक/ट्रस्टी
2. इंजी० के० के लाल – 9336765798 संस्थापक/ ट्रस्टी सदस्य
3. के० के श्रीवास्तव – 9839263541 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
4. महेन्द्र नाथ – 7007015518 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
5. कमलेश प्रजापति – 9452464646 संस्थापक/ ट्रस्टी सदस्य
6. संतोष लोधी – 8808615697 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
7. सियाराम – 9794352284 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
8. शैलेन्द्र कुमार – 9793880313 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
9. बसन्तलाल अम्बेडकर – 8351991276 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है न कि लोकतंत्र

– संकलनकर्ता – सियाराम
(संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य) गणतंत्र आर्मी

कार्यपालिका के प्रमुख के आधार पर वर्गीकरण :

यदि हम राष्ट्र प्रमुख (Head if State) के पद को देखें, तो संसदीय प्रणाली दो तरह की हो सकती है :

संवैधानिक राजशाही (Constitutional Monarchy) : जहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत राजा के पास होता है (जैसे – ब्रिटेन, जापान)

संसदीय गणराज्य (Parliamentary Republic): जहाँ राष्ट्र प्रमुख एक चुना हुआ राष्ट्रपति होता है, न कि कोई राजा (जैसे– भारत, जर्मनी)।

भारत के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential System) के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) को मुख्य रूप से तीन बड़े कारणों से चुना :

1. पहले से काम करने का अनुभव (Familiarity with the system)

भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों (Government of India Acts) के तहत देश में संसदीय व्यवस्था की शुरूआत हो चुकी थी।

लाभः भारतीय नेता और अधिकारी इस व्यवस्था को अच्छी तरह समझते थे।

निर्णयः आजादी के बाद नई व्यवस्था को शून्य से सीखने के बजाय, संविधान निर्माता उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे जिससे देश पहले से परिचित था।

2. उत्तरदायित्व को प्राथमिकता (Responsibility over stability)

संविधान सभा की बहसों के दौरान डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो चीजें देनी चाहिए – स्थायित्व (Stability) और उत्तरदायित्व(Responsibility)।

गणराज्य का कानूनी अर्थ

गणराज्य (Republic) का कानूनी अर्थ यह है कि देश का सर्वोच्च पद (राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि देश के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है।

मुख्य बातें और विशेषताएं :

चुना हुआ प्रमुख : राजतंत्र (Monarchy) के विपरीत, जहाँ राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है, एक गणराज्य में राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है–चाहे व प्रक्रिया सीधी हो (जैसे अमेरिका में) या अप्रत्यक्ष (जैसे भारत में)।

जनता की सर्वोच्च शक्ति : कानूनी और राजनीतिक रूप से, देश की संप्रभुता (Sovereignty) किसी एक राजा या राजवंश के पास नहीं बल्कि जनता में निहित होती है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों के जरिए शासन की बागडोर संभालती है।

कानून का शासन (Rule of Law) : गणराज्य में सर्वोच्च सत्ता संविधान और कानून के अधीन होती है, न कि किसी व्यक्ति

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

विशेष की मर्जी के अनुसार।

संसदीय प्रणाली के प्रकार

संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) अपने आप में सरकार का एक विशिष्ट प्रकार है, लेकिन दुनिया भर में इस लागू करने के प्रारूपों (Variants) में वर्गीकृत किया जाता है :

1. वेस्टमिंस्टर मॉडल (Westminster Model)

यह संसदीय प्रणाली का सबसे पारंपरिक और मूल रूप है, जिसकी शुरूआत ब्रिटेन (U.K.) से हुई थी। भारत ने भी इसी मॉडल को अपनाया है।

वंशानुगत या चुनी हुई कार्यपालिका : इसमें राज्य का प्रमुख (Head of State) कोई राजा/रानी (जैसे ब्रिटेन में) या राष्ट्रपति (जैसे भारत में) हो सकता है, लेकिन वह केवल नाममात्र का प्रमुख (Nominal Head) होता है।

संसद की संप्रभुता (ब्रिटिश रूप में) : ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और वह कोई भी कानून बना सकती है जिसे कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता (हालांकि भारत में संविधान सर्वोच्च है)।

प्रमुख देश : यूनाइटेड किंगडम, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड।

2. सर्वसम्मति या बहुदलीय मॉडल : (Consensus or Multi-Party Model)

यह मॉडल मुख्य रूप से महाद्वीपीय यूरोप (Continental Europe) के देशों में देखा जाता है।

गठबंधन सरकारें : यहाँ की चुनाव प्रणालियों (जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व) के कारण किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होता है। इसलिए सरकारें हमेशा कई दलों के बीच व्यापक सहमति और समझौते से बनती हैं।

मजबूत समितियां : संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में केवल सत्ता पक्ष नहीं, बल्कि सभी दलों की समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

प्रमुख देश : जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, और बेल्जियम।

लाभ : भारत एक विशाल और अत्यधिक विविधता (विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां) वाला देश है। संसदीय प्रणाली कैबिनेट के माध्यम से अलग-अलग वर्गों के नेताओं को सरकार में शामिल होने का अवसर देती है, जिससे देश में आपसी टकराव की संभावना कम होती है।

3. विविधता और अंतर्विरोधों से बचाव (Avoiding Conflicts)

अध्यक्षीय प्रणाली में सारी शक्तियां एक व्यक्ति (राष्ट्रपति) के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं। यदि राष्ट्रपति और संसद अलग-अलग विचारधारा के हों, तो दोनों के बीच अक्सर टकराव होता है।

लाभ : भारत एक विशाल और अत्यधिक विविधता (विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां) वाला देश है। संसदीय प्रणाली कैबिनेट के माध्यम से अलग-अलग वर्गों के नेताओं को सरकार में शामिल होने का अवसर देती है, जिससे देश में आपसी टकराव की संभावना कम होती है।

संक्षेप में :

संविधान निर्माताओं को डर था कि एक नवजात लोकतंत्र में कार्यपालिका (राष्ट्रपति) को बहुत अधिक स्वतंत्र कर देने से देश तानाशाही की ओर बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने 'अधिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही' वाले

मॉडल को चुना।

संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है?

भारत ने ब्रिटिश मॉडल को तो चुना, लेकिन भारतीय और ब्रिटिश संसद में क्या बड़ा अंतर है?

अध्यक्षीय प्रणाली (जैसे अमेरिका) : यह सरकार को अधिक स्थायित्व देती है क्योंकि राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसमें दैनिक जवाबदेही कम होती है।

संसदीय प्रणाली (जैसे भारत): इसमें सरकार (कार्यपालिका) को हर छोटे-बड़े फैसले के लिए संसद (विधायिका) के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। भारत जैसे नए आजाद हुए देश के लिए सरकार पर जनता के प्रतिनिधियों का दैनिक नियंत्रण होना बेहद जरूरी था।

व्यावहारिक उदाहरण से समझे (U.K. बनाम भारत)

कोई देश लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह गणराज्य भी हो। इसे इन दो उदाहरणों से समझा जा सकता है:

1. यूनाइटेड किंगडम (U.K.) : ब्रिटेन एक लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। वहाँ की सरकार और प्रधानमंत्री को जनता चुनती है (लोकतंत्र), लेकिन देश का सर्वोच्च प्रमुख आज भी राजा या रानी (वंशानुगत पद) होता है। इसे 'संवैधानिक राजतंत्र' (Constitutional Monarchy) कहते हैं।

2. भारत और अमेरिका : भारत और अमेरिका लोकतंत्र भी हैं और गणराज्य भी। यहाँ सरकार भी जनता चुनती है और देश के सर्वोच्च प्रमुख (राष्ट्रपति) का पद भी किसी राजपरिवार के पास नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा चुना जाता है।

व्यावहारिक उदाहरण से समझें (U.K. बनाम भारत)

कोई देश लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह गणराज्य भी हो। इसे इन दो उदाहरणों से समझा जा सकता है:

लोकतंत्र (Democracy) और गणराज्य (Republic) के बीच का मुख्य अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसे काम करती है और देश का सर्वोच्च प्रमुख (Head of State) कौन होता है।

सरल शब्दों में :

लोकतंत्र का संबंध इस बात से है कि शासन चलाने वाले प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं।

मुख्य अंतर (तुलना)

विशेषता	लोकतंत्र (Democracy)	गणराज्य (Republic)
मुख्य ध्यान	सरकार बनाने में जनता की हिस्सेदारी और बहुमत की इच्छा पर।	देश के सर्वोच्च पद (Head of State) के चुनाव और संविधान के शासन पर।
सत्ता का नियम	आमतौर पर बहुमत पर शासन (Rule of Majority) होता है।	कानून और संविधान का शासन (Rule of Law) होता है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है
शीर्ष पद	इसमें देश का प्रमुख कोई राजा भी हो सकता है (यदि वह केवल नाममात्र का हो)।	इसमें देश का प्रमुख कभी कोई राजा या तानाशाह नहीं हो सकता।

राजतंत्र बनाम गणराज्य (एक नजर में)

विशेषता	राजतंत्र (Monarchy)	गणराज्य (Republic)
प्रमुख का चयन	वंशानुगत (पारिवारिक)	जनता द्वारा निर्वाचित
सत्ता का स्त्रोत	राजा या राजपरिवार	जनता और संविधान
उदाहरण	यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब	भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका

लोकतंत्र और गणतंत्र में मुख्य अंतर

अंतर का आधार	लोकतंत्र (Democracy)	गणराज्य (Republic)
मुख्य ध्यान	सरकार चुनने और फैसले लेने में जनता की भागीदारी।	देश के सर्वोच्च पद (Head of State) के चुनाव।
शीर्ष पद (मुखिया)	वंशानुगत भी हो सकता है (जैसे ब्रिटेन में राजा)।	हमेशा निर्वाचित (चुना हुआ होता है)
सत्ता का स्त्रोत	जनता (शासन संचालन के लिए)।	संविधान और कानून (सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित)।

गणराज्य का संबंध इस बात से है कि देश का सर्वोच्च प्रमुख (जैसे राष्ट्रपति) वंशानुगत (राजा) नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं।

लोकतंत्र और गणराज्य के बीच का मुख्य अंतर

क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं?

हाँ, ज्यादातर आधुनिक देश लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों होते हैं (जैसे भारत और अमेरिका), क्योंकि वहाँ सरकार भी जनता चुनती है और राष्ट्रपति भी चुना होता है। लेकिन ब्रिटेन एक लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं, क्योंकि वहाँ सरकार जनता चुनती है (लोकतंत्र) पर देश का मुखिया राजा/रानी होता है (राजतंत्र)।

भारतीय संविधान की प्रस्तवना

(Current Preamble in Hindi)

''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण
प्रभुत्व – सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा
उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को
एतद्‌वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

क्या बदलाव हुए थे?

तीन नए शब्द जोड़ गएः 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में Socialist (समाजवादी), Secular (पंथनिरपेक्ष), और Integrity (अखंडता) शब्दों को शामिल किया गया।

26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के मूल संविधान (Original Constitution) की प्रस्तावना (Preamble) अंग्रेजी में इस प्रकार थी:

"We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation:
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

मुख्य बातेः

मूल शब्दः 1950 की मूल प्रस्तावना में भारत को "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" (सम्प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य) घोषित किया गया था।

बदलावः बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें तीन नए शब्द – Socialist (समाजवादी), Secular (पंथनिरपेक्ष), और Integrity (अखंडता) जोड़े गए थे, जो कि 1950 की मूल प्रस्तावना में नहीं थे।

Indian Constitution Current Preamble in English

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political:
LIBERTY of thoughts, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

पिछड़ा वर्ग संघर्ष के लिए तैयार रहे – कांशीराम

(नागपुर)

'बहुजन संघर्ष समिति' द्वारा नागपुर में 'धनवटे नेशनल कॉलेज' के डा. पंजाब राव देशमुख सभागृह में 4 दिसम्बर 1983 को विशाल अधिवेशन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्‌घाटन द्रविड़ कझगम के महासचिव के. वीरमनी के भाषण से हुआ।

अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए डी–एस4 के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना पिछड़े वर्ग के हित में होगा। परन्तु सरकार द्वारा अपनाई गई टाल–मटोल की नीति से यह अहसास हो रहा है कि सरकार का इरादा नेक नहीं। इसके पहले भी काका कालेलकर आयोग की रपट को सरकार ने रफा–दफा कर दिया था।

मंडल आयोग के सम्बन्ध में भी वही किया जा रहा है। इसीलिए हमें जागृत रहकर इसे लागू कराने के लिए प्रयास करने होंगे।

आगे आपने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए हमें सभी प्रयास करने चाहिए। परन्तु इससे पिछड़े वर्ग की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि उसे ईमानदारी से कायान्वित नहीं किया जायेगा। उन्हें काफी समय तक उसका इन्तजार करना होगा। दूसरी बात, जिसके लिए मंडल आयोग ने सिफारिशें की हैं, उनकी संख्या तो 52 प्रतिशत है परन्तु उनको अभी तक मान्यता नहीं। सबसे पहले मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रयास करने होंगे। जब तक पिछड़े वर्ग के लोग सही ढंग से संगठित नहीं होते, उन्हें वे अधिकार आसानी से मिलने वाले नहीं।

अधिवेशन में के. वीरमनी ने अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किया जिसकी रचना पुरूषोत्तम भीसीकर ने की।
अधिवेशन की अध्यक्षता चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने की। संचालन अनिल धवड़े ने किया तथा आभार प्रदर्शन मा. एम.एस. देशमुख ने किया। शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष मा. राव साहेव इंगोले ने आगन्तुकों का स्वागत किया, नागेश चौधरी ने परिचय कराया तथा मुकन्द राव चिमुरकर ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया जिसकी रचना पुरूषोत्तम भीसीकर ने की।

(बहुजन संगठक, वर्ष 4, अंक 41, 16 जनवरी, 1984)

साभार :
मा. कांशीराम साहब
के ऐतिहासिक भाषण खण्ड–2
पेज संख्या 248 से 249 तक
ए. आर. अकेला

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और दबायें।

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और दबायें।

अशोक विजयदशमी

वर्तमान में दशहरे का स्वरूप

यह पर्व आश्विन मास की शुक्ल–पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन रामचन्द्र ने लंका पर चढ़ाई करके महाराजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। अर्थात् राम ने रावण की हत्या की थी। विजयदशमी को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता प्राप्त है। वैसे मुख्य रूप से यह हिन्दू वर्ण–व्यवस्था के आधार पर क्षत्रिय का त्योहार माना जाता है क्योंकि यहा वर्ण–व्यवस्था के आधार पर ही सब चीजों का बंटवारा निर्धारित है चाहे वह जन्म, कर्म हो या फिर रस्मो–रिवाज या त्योहार आदि ।

दशमी के दिन लगातार दस दिनों तक धमूधाम के साथ निकाली जाती है और रावण वध का प्रदर्शन होता है तथा मेले–तमाशे का आयोजन और दुर्गा पूजन होता है। उसी दिन हिन्दुओं के लिए नीलकठ पक्षी का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है।

दशहरे से जुड़ी हिन्दू मान्यताएं

दशहरे के सम्बंध में कही जाने वाली कुछ कथाएं इस प्रकार हैं–

1. एक बार पार्वती जी ने शंकर से पूछा कि ''लोगों में दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है?'' तो शिवजी ने बताया कि ''आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय 'विजय' नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को युद्ध के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए।'' इसकी पुष्टि हिन्दू ग्रंथ ज्योतिर्निबन्ध से भी होती है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। रामचन्द्र जी ने इसी 'विजय–काल' में लंका के महाराजा रावण पर विजय पाई थी। इसलिए यह दिन हिन्दुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी का पवित्र दिन माना जाता है। और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते है क्योंकि रामचन्द्र भी क्षत्रिय थे।

हिन्दुओं की ऐसी मान्यता है कि शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस विजय–काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए । अपने तमाम दल–बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए । क्योंकि यह शमी वृक्ष सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। इस वृक्ष ने अर्जुन के धनुष को धारण किया था और रामचन्द्र के लिए भी विजय की घोषणा की थी। पार्वती ने शमी वृक्ष के बारे में स्पष्टीकरण चाहा तो शिवजी ने उत्तर दिया ''दुर्योधन ने पांडावों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे बारह वर्ष तक जैसे चाहें वैसे प्रकट रूप से वन में रह सकते हैं। लेकिन एक वर्ष बिलकुल अज्ञातवास में रहना होगा। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें बारह वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण इसी शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला (हिजड़ा) के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओ की रक्षा के लिए बृहन्नला को अपने साथ लिया। शमी ने अर्जुन के शास्त्रों की रक्षा की थी और अर्जुन ने सही समय पर शस्त्र उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी।''

विजय दशमी के दिन रामचन्द्र ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसलिए उसी विजय काल में ही शमी वृक्ष की भी पूजा का महत्व है।

2. एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण से विजयदशमी के बारे में पूछा तो कृष्ण ने बताया कि– ''हे राजन! विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी, घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे–बाजे के साथ मंगलाचरण करना चाहिए। उसे इस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां शस्त्र–पूजा करके अष्टदिग्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति पुतला बनाकर उसकी दाती में बाण भेदना चाहिए तथा उसी समय पुरोहित से मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा करके हाथी, घोड़ा, शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमान्त में करके अपने महल को वापस आना चाहिए जो राजा इस विधि से पूजन करके विजयदशमी की रस्म पूरी करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।'' हिन्दू धर्म में दशहरा (विजयदशमी) के लिए उपरोक्त प्रकार की मान्यताएं और कथाएं प्रचलित और मान्य हैं। किन्तु यह उनका अपना दृष्टिकोण है। जो हमने आपकी जानकारी के लिए उल्लेखित किया है।

वास्तविकता

आइए, अब हम दशहरे पर एक तर्कशील एवं बुद्धिवादी दृष्टिकोण रखते हुए उसके वास्तविकता स्वरूप को देखने–परखने का प्रयास करें।

भारत में दशहरे को हिन्दू लोग प्रायः दो तरीको से मनाते हैं। एक राम द्वारा रावण पर जीत कराके तथा दूसरे बड़े पैमाने पर देवी (दुर्गा) का पूजन करके। एक ही त्योहार में दोनों बातों का इतने बड़े पैमाने पर साझा प्रदर्शन होना किसी के लिए भी वास्तविक सच्चाई (कारण) जानने की उत्सुकता के साथ–साथ बहुत कठिनाई पैदा कर देते है। क्योंकि हिन्दू लोग स्वयं कारण कुछ बताते हैं लेकिन काम कुछ और ही करते नजर आते हैं। इस उपलक्ष्य में दस दिन पहले से ही हर गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में एक जगह रामलीला का प्रोग्राम तो होता ही है। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस दशहरा की तैयारी में महीनों पहले से प्रत्येक गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में जितना भी संभव हो सके उतनी संख्या में दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं । इन मूर्ति स्थलों की संख्या रामलीला स्थलों से दस गुना ज्यादा होती है। आम तौर पर देखने में यह दुर्गा माता का ही कोई महत्वपूर्ण त्योहार नजर आता है लेकिन वास्तविकता रूप में इसे लोग राम से जोड़ते हैं। इस भूल–भूलैया की स्थिति से बाहर निकलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्योहार के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है? दशहरा को लोग विजयदशमी का नाम क्यों देते हैं? इसके पीछे का इतिहास क्या है? तथा इसका इस देश के मूलनिवासी बौद्धों से क्या सम्बंध है ?

सम्राट अशोक और विजयदशमी का इतिहास

दशहरें के सम्बन्ध वास्तव में भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक से है। महाराजा अशोक विश्वविख्यात महान शासक थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। किसी भी राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना ठीक नहीं। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धान्तों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धान्तों के आधार पर ही उन्होंने

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और दबायें।

शासन किया। अपने दसवें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि ''राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है।'' यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया ।

उन्होंने अपनी प्रजा को सद्धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने का आदेश दिया और अहिंसा तथा सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनका उद्देश्य था प्रजा की सर्वोपरि उन्नति। वास्तव में वह समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण चाहने वाले थे। जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की गौरवशाली कला और संस्कृति की शुरुआत भी सम्राट अशोक के समय से ही हुई। धम्म और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। उन्होंने आज से दो हजार वर्ष पूर्व भारत और पूरे विश्व को वही पाठ पढ़ाया जिसे आज संसार के सभी शांतिप्रिय देश संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संचालित व क्रियान्वित करना चाहते हैं।

ऐसे महान सम्राट अशोक का जन्म इस पावन भारत भूमि पर अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार लगभग 304 ईसा पूर्व चैत्र मास में शुक्ल–पक्ष की अष्टमी को हुआ था दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है और उनके पिता का नाम बिन्दुसार था। जो मगध देश के राजा थे। जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक बचपन से कही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि का धनी था। बड़ा होने के नाते शीघ्र ही उसने सभी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। अशोक के सौतेले भाईयों में सबसे बड़े भाई का नाम सुसीम था। इसलिए राजा का उत्तराधिकारी होने का हक उसी का था किन्तु अशोक की तीव्र बुद्धि को देखकर सभी अमात्य अशोक को ही उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में थे। इससे असमंजस में पड़े राजा को सभी राजकुमारों की परीक्षा लेकर भी सुसीम और अशोक दोनों को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। महाराजा बिन्दुसार ने सुसीम को उपराजा बनाकर तक्षशिला भेजा और अशोक को उज्जैन के लिए रवाना किया। उज्जैन के रास्ते में ही विदिशा नगरी पड़ती थी। अशोक ने उज्जैन जाते समय यहीं पड़ाव डाला था। यहीं पर स्कन्धमित्रा की अशोक से मुलाकात हुई और स्कन्धमित्रा को देखकर अशोक बहुत प्रभावित हुआ। अशोक ने अपने आमात्यों से कहकर उसके माता–पिता का पता लगवाया और स्कन्धमित्रा को पसन्द करने की बात कही। यह जानकर नगर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह कुमार अशोक के साथ कर दिया। वास्तव में यह कन्या शाक्य कुल से ही थी किन्तु परिस्थितिवश उसके पूर्वज विदिशा में आकर बस गए थे। यही देवी, विदिशा महादेवी के नाम से जानी जाती है। किन्तु वर्तमान सूत्रों के अनुसार महान अशोक की रानी का नाम असंधिमित्रा बताया जाता है।

अशोक को उज्जैन के लिए रवाना किया। उज्जैन के रास्ते में ही विदिशा नगरी पड़ती थी। अशोक ने उज्जैन जाते समय यहीं पड़ाव डाला था। यहीं पर स्कन्धमित्रा की अशोक से मुलाकात हुई और स्कन्धमित्रा को देखकर अशोक बहुत प्रभावित हुआ। अशोक ने अपने आमात्यों से कहकर उसके माता–पिता का पता लगवाया और स्कन्धमित्रा को पसन्द करने की बात कही। यह जानकर नगर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह कुमार अशोक के साथ कर दिया। वास्तव में यह कन्या शाक्य कुल से ही थी किन्तु परिस्थितिवश उसके पूर्वज विदिशा में आकर बस गए थे। यही देवी, विदिशा महादेवी के नाम से जानी जाती है। किन्तु वर्तमान सूत्रों के अनुसार महान अशोक की रानी का नाम असंधिमित्रा बताया जाता है।

अशोक असंधिमित्रा के साथ उज्जैन पहुँचे वहाँ की शासन स्थिति ठीक हुई। विवाह के एक वर्ष बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। जिसका नाम महिंद (महेन्द्र) रखा गया । इसके दो वर्ष के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम संघमित्रा (संघमित्रा) रखा गया ।

कुछ समय पश्चात महाराज बिन्दुसार मरणासन्न अवस्था पर पड़ गए तो उस समय पाटलीपुत्र में न तो सुसीम था और न ही अशोक। महाराज बिन्दुसार की इच्छा थी की इस समय सुसीम ही उनका उत्तराधिकारी बने किन्तु उसके आमात्यों के विचारानुसार केवल अशोक ही योग्य उत्तराधिकारी हो सकता था। उन्होंने अशोक को तुरन्त उज्जैन से पाटलिपुत्र आने का संदेश भिजवाया । अशोक सन्देश पाते ही पाटलिपुत्र आ गया सुसीम को भी संदेश दिया गया था किन्तु वह अज्ञात कारणों से समय पर नहीं आ सका।

महाराजा ने जब देखा कि सुसीम का कहीं कोई अता–पता ही नहीं, केवल अशोक ही उसके पास है। राजा ने अपना अंतिम समय नजदीक आता देख अपने सिर से राजमुकुट उतारा और अशोक के सिर पर रख दिया। इस प्रकार आमात्यों के प्रयत्नों से अशोक को सम्राट का पद प्राप्त हुआ। अशोक के राजा बनते ही राजमहल मे खुशियाँ छा गई। अशोक सन् 273 ईसा पूर्व के लगभग 34 वर्ष की आयु में मगध के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। जनता को अशोक की सामर्थ्य और शक्ति पर पूरा विश्वास था ।

अशोक के सम्राट बनने से राजधानी पाटलिपुत्र में उत्सव मनाया जाने लगा, किन्तु उपराजा सुसीम को जब यह समाचार मिला, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिको के साथ राजसिंहासन को बलपूर्वक हथियाने के लिए तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर कूच कर दिया। कहते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र के बाहर अस्त्र–शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों को बिठा दिया। जैसे ही राजकुमार सुसीम ने पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश किया अशोक के सैनिको ने उसे घेर कर मार गिराया। इस प्रकार अशोक के समक्ष अब कोई राज्य का दावेदार नही रहा और वह मगध के एकछत्र महाराजा बन गए ।

सम्राट अशोक के बड़े भाई उपराजा सुसीम की मृत्यु के समय उसकी रानी सुमना गर्भवती थी। उसने सोचा कि अशोक के सैनिक उसे भी मार डालेंगे इसलिए अपनी जान बचाने और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उसने एक चांडाल के घर जाकर शरण ली । कष्टों में जीवन निर्वाह करती हुई कुछ दिनो पश्चात् न्यग्रोध (वट=बरगद) के पेड के नीचे उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव के एक मुखिया ने राजपरिवार के सदस्य होने के कारण माता–पुत्र दोनो की सात वर्ष तक अपने संरक्षण में रखकर सेवा की। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम 'न्यग्रोध कुमार' पड़ा ।

उसके श्रामणेर होने के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उस युग में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार था। अच्छे–अच्छे बौद्ध भिक्खु अपने त्यागमय जीवन और विद्वत्ता से लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे। अतः 'न्यग्रोध' भी विद्वान बौद्ध भिक्खुओं के संपर्क में रहकर बौद्ध बन गया । श्रीलंका के महावंस नामक बौद्ध ग्रंथ में न्यग्रोध के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है।

साभार
त्योहारों के रहस्य
रोशन बौद्ध
(पृ.सं. 11 से 15 तक)

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और दबायें।

विचित्र वैराग्य

तथागत राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे। राजगृह निवासी एक विशाख नामक श्रेष्ठि एक दिन तथागत का उपदेश सुनने आया तो उसको गृहस्थ जीवन से सहसा विरक्ति होने लगी। उपदेश सुनने के उपरान्त विशाख जब घर पहुंचा तो वह अपने कक्ष में जाकर बैठ गया। पत्नी आई तो उससे कुछ बोला नहीं। पत्नी ने पति को गम्भीर मुद्रा में देखा तो चिन्तित हुई।

विशाख की पत्नी का नाम धर्मदत्ता था। बौद्धों की भाषा में उसको धर्मदिन्ना कहा गया है। भाषा की यह विकृति पाली की देन है। जबकि स्वयं गौतम ने संस्कृत को ही महत्व दिया था। वे 'धर्म्म शरणं गच्छामि' की दीक्षा देते थे, किन्तु कालान्तर में बौद्धों ने 'धर्म्म के स्थान पर 'धर्म्म' कर दिया।

धर्मदत्ता ने अपने पति से साहस करके पूछा, ''आप बोलते क्यों नहीं? क्या मैंने कोई अपराध किया है?''

''नहीं, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। मैंने ही बुद्ध का शासन ग्रहण कर लिया है। स्त्री स्पर्श वर्जित है। घर पर भोजन भी नहीं करूंगा।''

''तो?''

''मैं भिक्षा मांगूंगा।''

''मैं क्या करूंगी?''

''तुम यह सारी सम्पत्ति लेकर मायके चली जाओ।''

''जो नहीं, मैं आपके यहां से नहीं जाऊंगी। भला बताइये, मैं भी आपकी ही भांति प्रव्रज्या क्यों न ले लूं?''

पति बोला, ''यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी प्रव्रज्या ले लो तो इसमें हानि क्या है।''

विशाख अपनी पत्नी को एक सज्जित शिविका में बैठा कर विहार में ले गया और उसे भी धर्म में दीक्षित करवा दिया। अब धर्मदत्ता भी अपने के समान ही परिश्रम पूर्वक श्रमण धर्म का पालन करती हुई, उस तथागथित धर्म पथ पर अग्रसर होती गई। मिभुणी संघ के साथ विहार में ही निवास करने लगी और ज्ञान प्राप्त करने लगी।

धर्मदत्ता धर्मपथ पर इतनी अग्रसर हुई कि एक दिन उसका अपना पूर्वपति विशाख ही उससे धर्मोपदेश सुनने के लिये आया। उसने जब उसे 'आर्य' शब्द से सम्बोधित किया तो एक क्षण के लिये धर्मदत्ता के मुख पर मुस्कान आ गई, किन्तु वह शीघ्र ही सम्भल गई और उसने विशाख को उसकी इच्छानुसार 'सत्काय' का उपदेश दिया।

धर्मदत्ता ने जब अपने पूर्व पति विशाख को 'आयुस्' जिसे पालि भाषा में 'आवुस' उच्चारण किया जाता है, इस प्रकार सम्बोधित किया तो विशाख को भी आश्चर्य हुआ था। किन्तु उसने अपने मन की अनेक शंकाओं का समाधान धर्मदत्ता के समीप बैठ कर प्राप्त किया।

उपदेश के अन्त में धर्मदत्ता ने विशाख को समझाया, ''निर्वाण पर्यवसान है। इच्छा हो तो तथागत से प्रश्न कर लो।''

विशाख ने अपनी पूर्वपत्नी तथा वर्तमान में ज्ञानशीला भिक्षुणी का अभिवादन किया, उसको प्रणाम किया और फिर वह तथागत के पास चला गया। सुअवसर प्राप्त होने पर विशाख ने अपनी पूर्व पत्नी और अव भिक्षुणी धर्मदत्ता से हुआ पूरा संलाप भगवान से कहा। भगवान ने कहा, ''विशाख! धर्मदत्ता भिक्षुणी है, पण्डिता है, महाप्रज्ञा है। यदि तुम मुझसे प्रश्न करते तो मैं भी यही सब उत्तर देता।''

कालान्तर में भिक्षुणी धर्मदत्ता सुख की उपदेशिका के रूप में चर्चित हुई।

जहां इस प्रकार की कथायें बौद्ध ग्रन्थों में पाई जाती हैं वहीं उनके साथ तथागत को द्वारा अपमानित करने की भी अनेक कथाएं उनमें समाविष्ट हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार तैर्थिक साधु महिला साध्वी को इस कार्य के निमित नियोजित करते थे, किन्तु बुद्ध के प्रभाव के सम्मुख उनकी एक नहीं चलती थी। उनकी पोल उसी समय खुल जाती थी। यदि उस समय न भी खुले तो। कुछ समय बाद अवश्य खुलती थी।

इस प्रकार का सहसा उत्पन्न वैराग्य भी बुद्ध के जीवन में बहुत दिखाया गया है। इसे बुद्ध का चमत्कार कहें अथवा कुछ और यह निर्णय कर पाना कठिन है।

साभार :
युग प्रवर्तक
पेज संख्या 97 से 98
गौतम बुद्ध

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

गणतंत्र आर्मी

(द्रविड़ भारत समाचार पत्रिका द्वारा संचालित)

पंजीयन संख्या – RNI No. : UPHIN-2009/29369

सदस्यता आवेदन फार्म

आवेदक का नाम ....

पिता का नाम ....

पत्रचार का पता ....

स्थायी पता ....

आधार संख्या ....

मोबाइल नं. ....

ई-मेल पता ....

मैंने गणतंत्र आर्मी का नियम व विधान पढ़ लिया है। निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा कर दिया है। नियम और विधान के अनुसार कार्य करने के लिए सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। सदस्यता प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक

हस्ताक्षर –

नाम –

पता –

मो. नं. –